SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE पैक्ज शर्मा 3-CRIMINAL In the coutten मिण्ड प्रथम श्रेण गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) /2017 प्रकरण कमाक Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना प्रशासन भिण्ड म०प्र० name, parentage, caste and address of accused 1 34 KINDIS OF STEEL STONEY 25 00 (2) STATE OF SEC COS SEC 20 CENT कि सरका हर दार्मा की The offence complained of, and date of its alleged commission आपने दिनांक 1-3.18 को 17.22 बजे से 17.30 बजे के मध्य स्थान <u>च पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का</u> दाव लगाकर जुआ खेला। तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों। The plea of the accused and bis examination [if any]--20018. 29/211 Er आरोपी का अभिवाक-न्यायिक स The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of theproperty in respect of whitch the offence has been committed

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 5.3.18 को घोषित किया गया)

अभियुक्त / अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरः। समरी शीट वर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।

अभियुक्त / अभियुक्त गण द्वारा की गयी खेच्छयापूर्वक खीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अत्र व उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजिक धूत कींडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूट कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये 🚾 - १५० रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 5.5. दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। प्रकरण में जप्तश्वा उप्टार्ट क्या क्या कार्य राजसात किये जाते

है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हों।

निर्णय आन दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

गोहद, जिला-भिण्ड (म.पू.)

Q:05/03/18

न्यायिक मिलिलेस प्रशाम श्रेणी imaxe zid न्यायिक मुक्तिस्टेट प्रशान श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)